अनवान्

1. शंभुलाल पिता भंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.........वादी

बनाम्

1. राधा किशन पिता चतुर्भुज जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. नारायणी पुत्री चतुर्भुज जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. जमनी पुत्री चतुर्भुज जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. मोहनी बैवा चतुर्भुज जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. मदनलाल पिता चुन्नीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. रूकमा पुत्री चुन्नीलाल पत्नि रामचन्द्र जाति माली उम्र वयस्क निवासी हवाला की बावडी तहसील रोड, बेंगू जिला चित्तोडगढ
7. वन्दना देवी पत्नि ऋतुराज जाति पाण्डेय उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
8. लालाराम पिता कजोड जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
9. गोपाल पिता कजोड जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
10. बिल्लु पुत्री कजोड पत्नि कंवरलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी माली मोहल्ला भेसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तोडगढ
11. कस्तुरचन्द पिता कजोड जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
12. रतनलाल पिता कजोड जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा

...............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांक 22.02.2017

वादी ने नियमित वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा फतहपुर पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नं0 26 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वां आराजी न0 27 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 9/80 हिस्सा है। जिस पर वादी काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा है। और हिस्से अनुसार लगान राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण फसल बुआई व लगान जमा कराते समय लडाई झगडा एवं विवाद उत्पन्न करते रहते है। अतः वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराया जाकर खाता अलग दर्ज कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। प्रतिवादीगण द्वारा गैर हाजीर रहने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादी ने स्वयं की खातेदारी भूमि होने बाबत् नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 ग्राम फतेहपुरा सम्वत 2069 से 2072 प्रस्तुत की है। जिसमें नामान्तकरण संख्या 316 दिनांक 21.07.2014 से वादी द्वारा 9/80 वा हिस्सा क्रय करने का नोट अंकित है। वादी के बयान लिये गये। बयान में क्रय शुदा भूमि का विभाजन करा अलग खाते की मांग की है।

चूंकि वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है अतः विभाजन कराने की पात्रता रखता है। प्रस्तुत वाद पत्र वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा स्थित आराजी नं0 26 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वां व आराजी नं0 27 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि में से वादी का 9/80 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तहसीलदार विभाजन कर विभाजन पत्रादी मय नक्शा मौका 2 प्रति इस न्यायालय में दिनांक 08.03.2017 से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2017 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे

सुनाया गया।

(आलोक जैन)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ